बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 60 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 12 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में ठंड-पॉल्यूशन का डबल अटैक, कोहरे के बीच हवा अब भी 'खराब' कैटेगरी में, सांस लेना अब भी मुश्किल

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह लोगों ने कड़ाके की ठंड के साथ दिन की शुरुआत की। हल्के कोहरे , स्मॉग और ठंडी हवाओं ने राजधानी के मौसम में बड़ा बदलाव ला दिया है। हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज हुई है लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में हल्का कोहरा छाया रहा। तापमान लगातार नीचे जा रहा है जिससे लोग सुबह की तेज ठंड से कांप उठे। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 23-25°C और न्यूनतम तापमान 7-9°C के बीच रह सकता है। उत्तर-पश्चिम दिशा से 5-10 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही हवा के कारण मौसम और ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है।

उनके हाथ कांप रहे थे, वे बहुत मानसिक दबाव में हैं..., राहुल गांधी ने फिर गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना

नई दिल्ली ।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अपना हमला जारी रखा, जिन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वे बहुत मानसिक दबाव में हैं।

यह सबने कल देखा। मैंने उनसे जो भी पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दी है कि वे मैदान में आएं और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। एक अन्य कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखी। हरियाणा में जो हुआ, उन्होंने उसके असली सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाए। आज जो हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा के विपक्ष के नेता पर हिट एंड रन की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी हिट एंड रन का फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वे बाहर चले जाते हैं, यही उनकी लोकतंत्र है। उनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है। कल केंद्रीय गृह मंत्री की बात सुनकर उन्हें बुरा लगा। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को यह आदत छोड़नी होगी... गृह मंत्री के भाषण से पूरा नेहरू परिवार बिखर गया। बुधवार को लोकसभा में तनाव तब बढ़ गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोट चोरी के आरोपों पर तीखी बहस हुई। गांधी ने बार-बार शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावे भी शामिल थे। शाह ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी, और जोर देकर कहा कि वे सभी सवालों का जवाब अपने क्रम में देंगे। शाह ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का भी बचाव किया और इसे मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की एक आवश्यक प्रक्रिया बताया। विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे जीतने पर चुनाव आयोग की प्रशंसा करते हैं और हारने पर उसकी आलोचना करते हैं। यह टकराव शाह के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों के सदन से बाहर चले जाने के साथ चरम पर पहुंच गया, जिसके कारण लोकसभा को स्थगित करना पड़ा।

संसद में ई-सिगरेट पर बवाल! अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर लगाया आरोप, स्पीकर ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली । गुरुवार को लोकसभा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य सदन के अंदर ई-सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह न केवल संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी कोई अनुमति कभी नहीं दी गई थी और कहा कि यदि लिखित शिकायत दर्ज की जाती है और आरोप की पुष्टि होती है तो वे कड़ी कार्रवाई करेंगे। यह मामला प्रश्नकाल के दौरान तब उठा जब ठाकुर ने उठकर सदन के नियमों के बार-बार उल्लंघन का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पूरा सदन इस मुद्दे से अवगत हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महोदय, मेरा सदन से एक प्रश्न है। महोदय, पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या आपने सदन में इसकी अनुमति दी है? अध्यक्ष ने उत्तर दिया, ‘नहीं, कोई भी इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। ठाकुर ने कहा कि महोदय, क्या आपने इसकी जाँच की है? टीएमसी के कुछ सांसद इसका सेवन कर रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की माँगों को स्वीकार करते हुए, बिरला ने दोहराया कि आचार संहिता सभी सांसदों पर समान रूप से लागू होती है और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी औपचारिक शिकायत की गंभीरता से जाँच की जाएगी। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का भी आग्रह किया। ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी सांसदों से संविधान के नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध करता हूं। यदि कोई सांसद इस तरह का कोई मुद्दा लेकर मेरे पास आता है, तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा। ठाकुर के आरोप पर भाजपा सांसदों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अज्ञात विपक्षी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए खड़े हो गए। इस आरोप ने सदन के भीतर पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल को और बढ़ा दिया, जिससे कुछ देर के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ।

जयराम रमेश का दावा, पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने नहीं पढ़ी राष्ट्रगान पर लिखी महत्वपूर्ण किताबें

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को लोकसभा में चल रही वंदे मातरम बहस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और उनके साथियों ने राष्ट्रगान की सच्ची भावना पर लिखी गई दो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें भी नहीं पढ़ी हैं। ये पुस्तकें रुदंगशु मुखर्जी द्वारा लिखित सॉन्ग ऑफ इंडिया- ए स्टडी ऑफ नेशनल एंथम और सब्यसाची भट्टाचार्य द्वारा लिखित वंदे मातरम- द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग हैं। जयराम रमेश ने तीखे शब्दों में कहा कि ये पुस्तकें दो सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हैं। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं से यह उम्मीद करना अतिशयोक्ति है, जबकि वे जनता के सामने अपने झूठ के लिए बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा और राज्यसभा में तीन दिनों तक वंदे मातरम पर बहस हुई। कुछ भाषणों में राष्ट्रगान का जिक्र भी हुआ... यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और उनके पूरे दल ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर लिखी गई दो प्रामाणिक और महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं - जो भारत के दो सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों द्वारा सही मायने में लिखी गई हैं। यह उम्मीद करना अतिशयोक्ति है कि झूठ के लिए बुरी तरह लताड़ने और बेनकाब होने के बाद भी वे ऐसा करेंगे। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रगान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना की भूमिका पर प्रकाश डाला, वहीं भाजपा और विपक्ष के सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम वह शक्ति है जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा परिकल्पित सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। वंदे मातरम ने भारत में हजारों वर्षों से गहराई से निहित एक विचार को पुनर्जीवित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक सर्वव्यापी मंत्र है जो स्वतंत्रता, त्याग, शक्ति, पवित्रता, समर्पण और लचीलेपन को प्रेरित करता है।

वंदे मातरम पर बहस में उछाला गया नेहरू का नाम, राज्यसभा में भिड़े खरगे-नड्डा, मचा घमासान

नई दिल्ली । जेपी नड्डा द्वारा वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछा कि क्या चर्चा का विषय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है या फिर चर्चा का मुख्य विषय जवाहरलाल नेहरू हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नड्डा के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया और नेहरू पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि यह बहस वंदे मातरम को लेकर है या पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर। यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह विकृत है और सच नहीं है। यह सवाल दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस में बदल गया, जब नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारत की संस्कृति से समझौता किया है। राज्यसभा में सदन के नेता ने कहा कि मैं सिर्फ वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। अगर जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या कर सकता हूं? समस्या यह है कि शुरू से ही आप लोगों ने भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से समझौता किया है... दुर्गा, सरस्वती, भारत माता और शक्ति इस देश के सभी लोगों के लिए हैं, और सभी को उनमें आस्था है। इन टिप्पणियों के कारण राज्यसभा में हंगामा मच गया और स्थिति को शांत करने के लिए अध्यक्ष उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को हस्तक्षेप करना पड़ा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस का समापन करते हुए जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूमिल नहीं करना चाहती और उसका एकमात्र उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को सही करना है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे... उस समय सत्ता में रहे लोग (सरकार) इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। नड्डा ने कहा कि पहले तो आपने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के श्लोक हटा दिए। जून 1947 में आपने भारत को खंडित स्वतंत्रता दी और जिन्ना के सपनों को साकार किया। उसके बाद आपने पाकिस्तान की गुरिल्ला सेनाओं के सामने पीओके समर्पित कर दिया, खंडित कश्मीर पर कब्जा कर लिया और फिर अनुच्छेद 370 लागू कर दिया... देश समझौतों से नहीं चलता - यही हमारी विचारधारा है। यह इतिहास की सचाइयों और अटूट राष्ट्रवाद की भावनाओं को ध्यान में रखकर चलता है। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रवाद से जुड़ा गीत है। इसे वही स्थान मिलना चाहिए जो हमने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को दिया है।

गाय को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की उठी मांग, राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा

नई दिल्ली ।

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों में सामान्य कामकाज देखने को मिला है। हालांकि, आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक हुई है। राज्यसभा में जहां जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में वार-पलटवार हुआ। वहीं, लोकसभा में निशिकांत दुबे की मांग पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा ने उन विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल बृहस्पतिवार को बढ़ा दिया, जिनमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है। वहीं, लोकसभा में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उस समय एक विचित्र स्थिति से गुजरना पड़ा जब अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते समय उन्हें जेब में हाथ डाले रखने पर नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में 'नेशनल हेराल्ड' मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस सदस्यों ने तीखा विरोध किया। सदन में हंगामे के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने कार्यवाही शाम चार बजकर सात मिनट पर शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि देश में देसी गायों की नस्लों को संरक्षण देना चाहिए और गाय को 'राष्ट्रमाता' या 'राजमाता' का दर्जा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के उज्ज्वल रमण सिंह ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, ''गाय राष्ट्रीय पहचान और गौरव का प्रतीक है। देश में देसी गायों की आबादी तेजी से घट रही है। उनकी गरिमा, सम्मान और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।'' कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को बहाना बनाना बंद कर, ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। सदन में कांग्रेस के सचेतक ने कहा, ''दिल्ली में लोग वायु प्रदूषण से इतने परेशान हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं।''भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्रवाई की बात कही। ठाकुर ने प्रश्नकाल में हिमाचल प्रदेश से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के दौरान कहा, ''देशभर में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है। सदन में क्या ई-सिगरेट पीने की अनुमति है?'' जब लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 'नहीं' में जवाब दिया तो ठाकुर ने कहा, ''तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य पिछले कई दिन से सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं।'' हालांकि, भाजपा सांसद ने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया। जेपी नड्डा द्वारा वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछा कि क्या चर्चा का विषय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है या फिर चर्चा का मुख्य विषय जवाहरलाल नेहरू हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नड्डा के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया और नेहरू पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि यह बहस वंदे मातरम को लेकर है या पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर। यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह विकृत है और सच नहीं है। राज्यसभा में सदन के नेता ने कहा कि मैं सिर्फ वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। अगर जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगतीं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

समस्या यह है कि शुरू से ही आप लोगों ने भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से समझौता किया है... दुर्गा, सरस्वती, भारत माता और शक्ति इस देश के सभी लोगों के लिए हैं, और सभी को उनमें आस्था है। बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सदस्य मानस रंजन मंगराज ने बृहस्पतिवार को सरकार से आग्रह किया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधरने तक संसद के शीतकालीन और बजट सत्रों को राजधानी से बाहर आयोजित किया जाए। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर खुशी जताते हुए इसे भारत के लिए गौरव की बात बताया। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति ने भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को बुधवार, 10 दिसम्बर 2025 को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किए जाने का जिक्र किया। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस सांसद जेबी माथेर हीशम ने केरल के औषधि नियंत्रण विभाग की जांच की मांग करते हुए दावा किया कि हाल के छापों ने राज्य में नकली और घटिया दवाओं की भरमार को उजागर किया है। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य सागरिका घोष ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की दो महिला प्रवासी श्रमिकों को बांग्लादेश भेजे जाने का मुद्दा उठाया और बिना उचित सत्यापन के उन्हें जल्दी से जल्दी निर्वासित करने पर जानना चाहा कि इतनी भी जल्दी क्या है।

हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के खिलाफ पूरे विपक्ष का एकजुट होना चिंताजनक मिसाल है

हिंदू-बहुल भारत में आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि किसी हिंदू को अपने ही प्राचीन धर्मस्थल पर दीपक जलाने या पूजा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़े? यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गयी है कि न्यायालय पूजा की अनुमति दे दे तो सरकार उस अनुमति के क्रियान्वयन को ही रोक दे? यह स्थिति क्यों बन गयी है कि अदालत अनुमति दे दे तो कुछ राजनीतिक दल उस न्यायाधीश को ही पद से हटाने की मांग करने लगें जिसने हिंदुओं को अपने धर्म स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक दृश्य है? सवाल उठता है कि तुष्टिकरण की राजनीति की आड़ में हिंदू आस्था को बार-बार क्यों चोट पहुँचायी जाती है? क्या बहुसंख्यक धर्म की परंपराएँ केवल इसलिए संदेह के घेरे में हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति को धर्म और इतिहास से ऊपर रख चुके हैं? और क्या अब न्यायपालिका तक को इस आधार पर निशाना बनाया जाएगा कि उसका निर्णय किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगा? इन मूलभूत प्रश्नों के बीच तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया है; यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है। हम आपको बता दें कि मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और उससे सटे 'दीपथूण' (पत्थर के दीप-स्तंभ) पर दीप प्रज्वलन को लेकर उठा विवाद लगातार कानूनी और राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 'दीपथूण' पर दीप जलाने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने न केवल इस आदेश को चुनौती दी बल्कि जिला प्रशासन ने भी पर्वत की तलहटी पर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित कर दिया। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने हिंदु तमिलर कच्ची के संस्थापक राम रविकुमार की याचिका पर आदेश देते हुए भक्तों को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन 3 दिसंबर के कार्तिगई दीपम उत्सव के दिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया जिसके बाद रविकुमार ने अवमानना याचिका दायर की। उसी दिन न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दस भक्तों को दीपथूण तक जाने और वहाँ दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दी तथा उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने समूह को रोक दिया और राज्य सरकार ने अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम आपको बता दें कि इस मामले की जड़ें लगभग सौ वर्ष पुरानी हैं। तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी, जो भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र स्थलों (अरुपडई वीडु) में से एक है, वहां पर स्थित मंदिर और एक दरगाह के बीच 1920 से ही स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद रहा है। उस समय सिविल कोर्ट और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को मंदिर सम्पत्ति घोषित किया था। किंतु दीप प्रज्वलन की परंपरा को लेकर न्यायालय ने 1996 में यह कहा था कि पारंपरिक स्थान मंदिर परिसर का उचिपिल्लैयार कोविल मंडपम है; हालांकि भविष्य में किसी वैकल्पिक स्थान पर दीप प्रज्वलन की अनुमति HR&CE विभाग द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते वह दरगाह से दूर हो। इसके बाद भी दीपथूण को पारंपरिक स्थल बताकर कई याचिकाएँ दायर हुईं, जिन पर 2014 और 2017 में उच्च न्यायालय ने यह दोहराया था कि मंदिर प्रबंधन ही धार्मिक परंपराओं और स्थलों का निर्धारण करेगा। लेकिन इस वर्ष पुनः इस विवाद ने जोर पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। वहीं 5 दिसंबर को खंडपीठ ने मंदिर प्रबंधन का पक्ष रखते हुए यह चेतावनी दी कि न्यायपालिका का अपमान करने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया, क्योंकि प्रशासन ने न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया। दूसरी ओर, यह विवाद इसी बीच संसद तक पहुँच गया है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी) और AIMIM से संबद्ध 107 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव सौंपा। आरोप लगाया गया कि न्यायाधीश ने एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर निर्णय दिए और निष्पक्षता व धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा है।

देखा जाये तो विपक्ष का यह कदम अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है, क्योंकि इसे न्यायपालिका पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने न्यायाधीश के निर्णय से असहमति को आधार बनाकर उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया, वह भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व और चिंताजनक मिसाल है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का इतिहास केवल मंदिर-प्रशासन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हिंदू आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ सदियों से भक्तों की उपस्थिति रही है। 1920 के सिविल डिक्री और प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने स्पष्ट कहा था कि पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है तथा दरगाह उससे केवल कुछ सीमित हिस्सों में सम्बद्ध है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि दीपथूण पर दीप जलाना मंदिर-परिसर के भीतर ही धार्मिक अनुष्ठान का एक स्वाभाविक हिस्सा है। फिर भी, पिछले तीन दशकों में दीपथूण को लेकर विवाद गहराता गया और प्रशासन ने अक्सर सुरक्षा या साम्प्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर हिंदू परंपराओं को सीमित किया। यह वही मानसिकता है जो डीएमके और उसके सहयोगियों की राजनीति में बार-बार दिखाई देती है, जहाँ बहुसंख्यक आस्था को दबाकर तुष्टिकरण को राजनीतिक लाभ का साधन बना दिया जाता है। यह संयोग नहीं है कि वही दल, जिसके नेताओं ने अनेक बार सनातन धर्म को नष्ट करने योग्य कहा, वही आज दीपथूण में दीप जलाने का विरोध कर रहा है। यहाँ प्रश्न केवल परंपरा का नहीं, बल्कि अधिकारों का है। जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश मौजूद था कि भक्त दीपथूण पर दीप जला सकते हैं, तब राज्य सरकार द्वारा उसे लागू न करना न केवल न्यायालय की अवमानना है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का खुला हनन भी है।

जिस प्रकार अदालत ने पुलिस और प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि न्यायपालिका का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, वह बताता है कि सरकार किस हद तक अपनी सीमाएँ भूल चुकी है। लेकिन इससे भी खतरनाक कदम था 107 विपक्षी सांसदों द्वारा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव। यह केवल असहमति का मुद्दा नहीं, बल्कि न्यायपालिका को धमकाने का सीधा प्रयास है। अगर किसी निर्णय से असहमति हो तो अपील का मार्ग उपलब्ध है; परन्तु न्यायाधीश की नीयत पर प्रश्नचिह्न लगाना और उन्हें राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर हटाने का प्रयास करना लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्थिर करने जैसा है। यह न्यायपालिका को संदेश देता है कि धार्मिक मामलों पर निर्णय देते समय राजनीतिक दबाव को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि किसी भी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के लिए विनाशक है। वैसे तो सनातन धर्म के विरुद्ध डीएमके के कई नेताओं के वक्तव्य पहले ही सामाजिक समरसता को कमजोर करते रहे हैं। अब दीपथूण पर दीप जलाने के खिलाफ प्रशासनिक दमन और फिर न्यायाधीश पर निशाना साधना इस बात का प्रमाण है कि यह विवाद मूलतः विधिक नहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक है। इसमें आस्था को बार-बार चोट पहुँचाई गई है और उन भक्तों को अपराधी जैसा व्यवहार झेलना पड़ा है जिन्होंने केवल अपनी परंपरा निभानी चाही। बहरहाल, यह विवाद एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या भारत में बहुसंख्यक आस्था को केवल इसलिए सीमित किया जा सकता है कि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट-बैंक को नाराज नहीं करना चाहते? क्या न्यायाधीश केवल इसलिए निशाने पर होंगे कि उन्होंने संविधान और न्यायिक मर्यादा के आधार पर निर्णय दिया, न कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार? विपक्ष को समझना होगा कि तिरुप्परनकुंद्रम की पहाड़ी केवल एक पहाड़ी नहीं, वह आस्था का स्रोत है। वहाँ दीप जलाना किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि एक परंपरा का निर्वाह है। इसे रोकना और फिर इसे अनुमति देने वाले न्यायाधीश को निशाना बनाना, दोनों ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हैं। विपक्ष को चाहिए कि सनातन पर प्रहार और न्यायपालिका पर दबाव के जरिये भारत की अवधारणा को कमजोर नहीं करे।

सम्पादकीय...

ऊर्जा संरक्षण - धरती और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक कदम

हर कोई जानता है कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और वातावरण में अपने विभिन्न प्रकार के हानिकारक परिणाम छोड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के पर्यावरण पर बहुत बुरे घातक प्रभाव हैं जैसे अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी के दिन (शुष्क मौसम), बाढ़ ,भूस्खलन कैंसर पैदा करने वाली पराबैंगनी किरणें, आदि। यह समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लोगों को ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूक होना चाहिए और यह भी तय करने का समय आ गया है कि कि भविष्य की पीढ़ियाँ आराम से कैसे रह सकेंगी। ऊर्जा एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में किसी भी पहलू में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को परिभाषित करता है, यह कई रूपों में हो सकता है जैसे विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, हाइड्रोलिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और कई अन्य। इन सभी ऊर्जाओं का उपयोग किया जाता है और उन्हें अन्य विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जाता है ताकि वे बिजली पैदा कर सकें और काम करने में मदद कर सकें। हमारे जीवन में कई जगहें है जहाँ हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए खाना बनाते समय, टीवी देखते समय या कुछ संगीत बजाते समय स्ट्रीट लाइट। ऊर्जा की खपत हर जगह होती है। इसलिए यह साबित होता है कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन कोई भी इसबात पर ध्यान नहीं देता कि इतनी ऊर्जा का उपयोग करने के बाद हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे निश्चित रूप से पर्यावरण की स्थिति, वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुँचता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवित प्राणियों का आराम सुगम्य जीवन प्राकृतिक जीवन छिन जाता है।हर व्यक्ति के जीवन में कई बदलाव किए जा सकते हैं ताकि ऊर्जा को संरक्षित किया जा सके। क्योंकि यह हर किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए तो वैसे कई छोटे-छोटे उपाय किए जा सकते हैं, लोगों को अपने कपड़ों को वाशिंग मशीन में और ज्यादातर ठंडे पानी में धोना चाहिए। और ऊर्जा बचाने के लिए अन्य अलग-अलग सेटिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यह घर में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के साथ भी किया जा सकता है। लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कम एयर कंडीशनर का उपयोग करें और अपने इलाके के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि उन्हें प्राकृतिक और ताजा हवा मिल सके। लोगों को अपने घरों में रिसाइकिल होने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उदाहरण के लिए डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें और अखबार। इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा बचती है और ये नए उत्पाद बनाने में भी मदद करते हैं। ऊर्जा की बचत कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे एक पृथ्वी एक स्वच्छ ग्रह बन सकती है, जो सभी के लिए स्वस्थ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप ऊर्जा का समझदारी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे हैं, कुछ रोजमर्रा की तरकीबें सीखना त्वरित और आसान है। ऊर्जा का संरक्षण करना सीखने का कोई वास्तविक नुकसान नहीं है। आप पर्यावरण की मदद करते हैं और ऊर्जा खपत से कम उपयोगिता बिलों के साथ जीतते हैं। ऊर्जा का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, और समय की मांग है क्योंकि उद्योगों के विकास में वृद्धि हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने द्वारा उत्पादित सभी हानिकारक कचरे का ध्यान नहीं रखते हैं। इससे पर्यावरण और जलवायु परिस्थितियों को बहुत नुकसान पहुंचा है और हम बदतर जीवन जी रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण जलवायु स्थिति में बदलाव का एक बहुत ही सामान्य उदाहरण ओजोन परत का असमान्य क्षरण है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा कैंसर का कारण बनता है।ऊर्जा संरक्षण नियम बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। और यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा पूरे सिस्टम में एक समान रहेगी जब तक कि बाहर से कुछ अतिरिक्त ऊर्जा न जोड़ी जाए। ऊर्जा संरक्षण के लिए साधारण और आवश्यक उपाय इस तरह कर सकते हैं कि कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद कर देना, जब उपकरण उपयोग में न हों तो उन्हें बंद कर देना और गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना, ये सभी ऊर्जा संरक्षण के उदाहरण हैं। लोगों द्वारा ऊर्जा संरक्षण के दो मुख्य कारण हैं अपने ऊर्जा बिल पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की मांग को कम करना।हम ऊर्जा की खपत को कम करके, हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करके सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ऊर्जा की बचत का मतलब पैसे की बचत भी है। हम ऊर्जा की खपत को कम करके, अपने ऊर्जा बिलों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को भी कम कर सकते हैं। हमारे पास बदलाव लाने की शक्ति है। ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के विकल्प विकसित किए जाने चाहिए। हम सभी को यह जानना अति आवश्यक है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अतः जहाँ तक संभव हो सके ऊर्जा की बचत की जानी चाहिए वहीं गैर-परंपरागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।इससे पैसे बचते हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बनाए रखने में मदद मिलती है। ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ती है। ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है। ऊर्जा साक्षरता भी बढ़ती है।

लोकतन्त्र में चुनाव सुधार

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चली बहस का निष्कर्ष अभी तक यह निकला है कि विपक्ष ईवीएम मशीनों से मतदान के स्थान पर पुनः बैलेट पेपर की वापसी चाहता है और चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों को कानून से मिली छूट को समाप्त चाहता है। ये दोनों विषय ही चुनाव सुधारों के लिए बहुत आवश्यक दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ईवीएम मशीनों के बारे में देश के मतदाताओं में सन्देह का वातावरण छंटा नहीं है और चुनाव आयुक्तों को सेवा के उपरान्त भी गलत कार्यों के लिए कानून से छूट मिलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। चुनाव आयुक्तों को विशेष दर्जा देना लोकतन्त्र में कहीं न कहीं यह आशंका पैदा करता है कि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की जवाबदेही भारतीय संविधान व कानून के प्रति वैसी नहीं है जैसी कि अन्य उच्चाधिकारियों की होती है। इस विसंगति को दूर तभी किया जा सकता है जबकि कानून 'सभी के लिए एक समान' के सिद्धान्त को सख्ती से लागू किया जाये। हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी ऊंचे से ऊंचा पद निरापद नहीं है और राष्ट्रपति तक के विरुद्ध संसद में महाभियोग लाया जा सकता है। इस प्रकार चुनाव आयुक्तों के विरुद्ध भी संसद में महाभियोग लाया जा सकता है परन्तु सेवा उपरान्त उन्हें कानून से छूट देना लोकतन्त्र के हित में दिखाई नहीं पड़ता। बेशक चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र व स्वायत्तशासी संवैधानिक संस्था है मगर यह देश के लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह होती है और सरकार का इससे कोई लेनादेना नहीं होता।

इसलिए नैतिक रूप से यह और भी जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग हर सूरत में पाक-साफ बना रहे और इसके आयुक्तों पर किसी भी प्रकार की शक की अंगुली न उठ सके। यह मुद्दा इसलिए भी गंभीर है कि चुनाव आयोग ही देश के नागरिकों को मिले सबसे बड़े संवैधानिक 'एक वोट' के अधिकार का संरक्षक होता है। मताधिकार की पवित्रता के लिए भी यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग हर हालत में पवित्र बना रहे। भारत के नागरिकों को एक वोट का अधिकार कोई सौगात में नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए पुरानी पीढ़ियों ने स्वतन्त्रता संग्राम लड़ते हुए भारी संघर्ष किया है अतः इस अधिकार की शुचिता को हर हालत में कायम रखना चुनाव आयोग का परम कर्त्तव्य है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता के कारण ही स्वतन्त्र भारत में 'स्वतन्त्र' चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी जिससे यह प्रमाणित होता रहे कि इस देश का असली राजा आम नागरिक ही है जिसके एक वोट की ताकत से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं।

यह एक वोट का अधिकार महात्मा गांधी ने देने का फैसला 1928 में ही कर लिया था और कहा था कि यह अधिकार भारत के नागरिकों के हाथ में सरकारों के विरुद्ध सबसे बड़ा अस्त्र होगा क्योंकि इसके माध्यम से ही भारत वास्तव में गणतन्त्र में तब्दील होगा परन्तु स्वतन्त्र भारत में आजकल इस वोट को लेकर ही भारी विवाद पैदा हो रहा है और चुनाव आयोग पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वह एसआईआर (गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण) के बहाने नागरिकों के वोट काट रहा है। विपक्ष का यह आरोप कितना सही है इस बारे में निश्चित रूप से विवाद हो सकता है मगर इतना तय है कि चुनाव आयोग का कार्य अधिक से अधिक संख्या में वयस्क नागरिकों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने का है। साथ ही यह भी तय है कि केवल भारत के नागरिक ही मतदाता हो सकते हैं। इस बारे में चुनाव आयोग यदि आवश्यक कदम उठाता है तो उसे एक सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। देखना केवल यह होगा कि कोई भी जायज भारतीय नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहने पाये। इसके लिए चुनाव आयोग को यदि अपने नियमों में ढील भी देनी पड़े तो उसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। जहां तक ईवीएम मशीनों का सवाल है तो इनकी संदिग्धता 2009 से ही बनी हुई है। बेहतर होता कि तभी की मनमोहन सरकार ने इस बाबत जरूरी कदम उठाया होता क्योंकि तब सप्रमाण तत्कालीन विपक्षी पार्टी भाजपा ने सिद्ध किया था कि मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है। मगर तब कांग्रेस पार्टी को चुनावों में अच्छी सफलता मिली थी और उसने इस मांग को अनसुना कर दिया। मशीनों के बारे में एक तथ्य साफ है कि ये मतदाता और चुनावी प्रत्याशी के बीच में एक अवरोध या तीसरी शक्ति होती है जबकि भारत के चुनावी कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 के अनुसार मतदाता व चुनावी प्रत्याशी के बीच कोई भी दृश्य या अदृश्य तीसरी शक्ति नहीं होनी चाहिए। इस बारे में देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी लम्बी–लम्बी बहसें हो चुकी हैं परन्तु नतीजा नहीं बदला जा सका। अतः अब यह सही समय है कि इस बारे में गंभीरता के साथ विचार किया जाये और संसद में इस बारे कानून में संशोधन किया जाये। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव परिणाम ज्ञात होता है जबकि परिणाम सीधे मतदाता द्वारा दिये गये वोट के आधार पर आना चाहिए। मतदाता जब मशीन में वोट देकर आता है तो वीवीपैट लगे होने के बावजूद वह आश्वस्त नहीं हो पाता कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसका वोट उसी को गया है जबकि बैलेट पेपर पर मुहर लगाने के बाद वह पूरी तरह सन्तुष्ट रहता है। मतदाता के मन से इस भ्रम को दूर करना मशीन के बस की बात नहीं है क्योंकि वह बीच में माध्यम या बिचौलिया बनी हुई है। उसका बिचौलिया होना ही सभी शंकाओं को जन्म देता है। अतः अपने लोकतन्त्र को पूरी तरह पाक-साफ रखने के लिए हमें आवश्यक सुधार करने चाहिए। ये सुधार तो केवल प्रक्रियागत हैं जबकि प्रणालीगत सुधारों की तरफ हमें आधारभूत स्तर पर व्यापक संशोधन करने होंगे।

परंपरा से आधुनिकता तक- साड़ी का अद्भुत सफर

आज से करीब पांच वर्ष पूर्व महाभारत काल में हस्तिनापुर राज्य हस्तिनापुर के राज दरबार में पांडवों और कौरवों के बीच द्युतक्रीड़ा का आयोजन किया गया। यह क्रीड़ा और कुछ नहीं मामा शकुनी के कुटिल चाल में फंसाने के लिए पांडवों के विरुद्ध कौरवों द्वारा किया गया षड्यंत्र था। अब इस घटना की अद्भुत बानगी देखिए के द्युतक्रीड़ा में हारते हारते पांडवों ने आखिरकार अपनी पत्नी एवं पटरानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, और उसे भी द्युतक्रीड़ा में हार गए। इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ वह भगवान कृष्ण और द्रौपदी के वस्त्र की महत्ता का अवर्णनीय बखान करता है। चूंकि दुर्योधन ने आदेश दे दिया की द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाए। अब जिसे आदेश दिया गया था वह था उसका छोटा भाई दुःशासन! दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचते, खींचते, खींचते थक हार कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि वह वस्त्र भगवान की कृपा के साथ बढ़ता ही चला गया। वह वस्त्र और कुछ दूसरा नहीं वरन् «साड़ी» ही था। दुनिया में जब भी भारतीय परंपरा और रीति-रिवाजों की बात होती है, तो हमारे दिमाग में कई चीजें आती है। इनमें से साड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। 21 दिसंबर को को विश्व साड़ी दिवस मनाया जाता है। इस पारंपरिक भारतीय पोशाक की सुंदरता ने भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साड़ी, भारतीय स्त्री का मुख्य परिधान माना जाता है। इस भारतीय पोशाक को अब विदेशों में भी खासा पसंद किया जाता है। भारत आने वाले विदेशी महिलाएं भी साड़ी पहनकर भारतीयता का एहसास करती है। और तो और विश्व के अनेक देशों की महिलाएं साड़ी पहनने में फक्र महसूस करती है। हर साल साड़ी दिवस इस पोशाक को बनाने वाले बुनकरों के सम्मान में मनाया जाता है। साड़ी का इतिहास कई हजार साल से भी ज्यादा पुराना है। साड़ी नाम संस्कृत शब्द «सारिका» से लिया गया है। जिसका मतलब कपड़े का लंबा टुकड़ा होता है। साड़ी दिवस के मौके पर हम आपको भारत में बनने वाली कई साड़ियों की खासियत बताएंगे। 21 दिसंबर का दिन दुनियाभर में इस भारतीय परिधान के लिए निश्चित है। भारत में तो इसे एक तरह से अघोषित राष्ट्रीय परिधान भी कह सकते हैं। जब भी कोई खास अवसर या त्योहार होता है, लड़कियां और महिलाएं अधिकांशतः साड़ी पहनना ही पसंद करती है। इसीलिए साड़ी महज एक परिधान नहीं, हमारी परंपरा है। यही वजह है कि सालों साल परदादी, दादी, मां की साड़ियां अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होती रही है और इसे हमेशा सहेजा गया है। साड़ी को आप जिस रूप में पहने, ये सौंदर्य को निखारने का काम करती है। इसीलिए आज भी हर लड़की के वॉर्डरोब में उसकी पसंद की कुछ खास साड़ियां जरूर होती हैं। साड़ी बेहद खूबसूरत परिधान है। ऐसे कम वस्त्र होंगे जो बिना सिले इतने सुंदर और गरिमामय लगते होंगे। हालांकि समय से साथ जैसे जैसे जीवनशैली में परिवर्तन हुआ है, कपड़ों के चुनाव पर भी असर पड़ा है। साड़ी पहनना कुछ ज्यादा वक्त लगता है।

अमेरिका ने पाक पर लगाया करोड़ों डॉलर का दाँव, बलूचिस्तान के बारूद पर बैठकर सोना खोदेंगे ट्रंप !

अमेरिका के इस क्षेत्र में आने से यह भी आशंका है कि चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा नई तीव्रता पर पहुँचेगी। दरअसल, अमेरिका रिकोडिक को चीन की आपूर्ति शृंखला का प्रभुत्व तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसे में पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों के बीच रस्साकशी में फँस जाएगा। इस परियोजना से ईरान भी असहज होगा क्योंकि अमेरिका समर्थित विशाल रणनीतिक परियोजना उसकी सीमा के ठीक पास उभरना तेहरान को बिल्कुल रास नहीं आएगा। साथ ही अमेरिकी परियोजना से अफगानिस्तान का प्रभाव भी बढ़ेगा क्योंकि इसकी सुरक्षा और आपूर्ति रूट तालिबान द्वारा नियंत्रित इलाकों के बेहद करीब हैं। तालिबान इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। साथ ही इस परियोजना से बलूच विद्रोह को नई ऊर्जा मिलेगी। विदेशी निवेश उनके लिए हमेशा दमन के नए प्रतीक के रूप में देखा गया है। परिणामस्वरूप सुरक्षा स्थिति और बिगड़ सकती है। बहरहाल, यह निवेश पाकिस्तान के लिए आर्थिक संजीवनी नहीं बल्कि शक्ति के वैश्विक खेल में एक गैंबलिंग चिप है।

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के सबसे अस्थिर और विद्रोह-ग्रस्त प्रांत बलूचिस्तान में स्थित रिकोडिक तांबा-सोना खदान के लिए 1.25 अरब डॉलर के यूएस EXIM बैंक वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। यह वही परियोजना है जिसे वर्षों से सुरक्षा संकट, राजनीतिक विवाद और बलूच विद्रोहियों की हिंसा ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। इस निवेश के साथ निकट भविष्य में 2 अरब डॉलर तक की अमेरिकी मशीनरी और सेवाएँ पाकिस्तान भेजी जाएँगी। अमेरिकी चार्ज द' अफेयर्स नटाली बेकर ने कहा है कि यह परियोजना अमेरिका के लिए 6,000 और बलूचिस्तान में 7,500 नौकरियाँ उत्पन्न करेगी। उन्होंने रिकोडिक को दोनों देशों के लिए लाभकारी आदर्श मॉडल बताया है। हम आपको बता दें कि रिकोडिक दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबा-सोना भंडारों में से एक है। माना जाता है कि यहां 15 मिलियन टन तांबा और 26 मिलियन औंस सोना है। कनाडा की दिग्गज कंपनी बैरिक गोल्ड पहले ही 2028 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। इस परियोजना का 50% मालिकाना बैरिक के पास है, जबकि पाकिस्तानी संघीय व बलूचिस्तान सरकार के पास 25-25% हिस्सेदारी है। रिपोर्टों के अनुसार इस परियोजना से 37 वर्षों में 70 अरब डॉलर से अधिक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न होने की संभावना है। हालाँकि, सुरक्षा खतरे सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बलूच विद्रोही गुट लगातार सेना, खनन परियोजनाओं और विदेशी निवेश पर हमले करते रहे हैं। हाल ही में बलूच नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी निवेशक बलूचिस्तान के कब्जे को वैधता देने की गलती नहीं करे। बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष नसीम बलूच ने इसे बलूच जनता की संपत्ति पर पाकिस्तानी कब्जे को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। इसी बीच विश्व बैंक की IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य वैश्विक उधारदाता 2.6 अरब डॉलर से अधिक का वित्त पैकेज जोड़ रहे हैं। साथ ही सऊदी अरब की मनारा मिनरल्स भी 10-20फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर बातचीत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इतने लंबे समय तक सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे और राजनीतिक स्थिरता की गारंटी दे पाएगा? देखा जाये तो अमेरिकी निवेश ऐसे समय में आया है जब वाशिंगटन चीन-प्रभुत्व वाली खनिज आपूर्ति शृंखलाओं से बाहर निकलने के लिए नए स्रोत तलाश रहा है। फिर भी, रिकोडिक पर यह दाँव एक हाई-रिस्क जुआ माना जा रहा है। यह भी देखने में आ रहा है कि रिकोडिक में अमेरिकी निवेश सिर्फ आर्थिक सौदा नहीं बल्कि यह भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात पर फेंकी गई भारी-भरकम चाल है। पाकिस्तान इसे बड़ी जीत बताकर छाती ठोक रहा है पर असलियत यह है कि अमेरिका ने यह पैसा दक्षिण एशिया के सबसे अस्थिर इलाके में आग से खेलने के अंदाज में डाला है। सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्यों आया? सवाल यह है कि वह इतना देर से और इतनी जगह पर क्यों आया? हम आपको बता दें कि यह निवेश उस समय हो रहा है जब बलूचिस्तान में विद्रोह चरम पर है। बलूच नेता साफ चेतावनियाँ दे रहे हैं कि यह निवेश उनके लिए शोषण का नया अध्याय है। बलूच नेता कह रहे हैं कि प्रांत में दशकों से मौजूद असंतोष और सैन्य दमन को देखते हुए कोई भी समझदार निवेशक पहले सौ बार सोचे। लेकिन अमेरिका ने शायद जानबूझकर जोखिम को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है कि यह सौदा पाकिस्तानी नहीं, बल्कि अमेरिकी एजेंडे का हिस्सा है। दरअसल, अमेरिका का असली मकसद है चीन को पछाड़ना। आज की सच्चाई यह है कि दुनिया में तांबा, सोना और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स नई सदी का तेल बन चुके हैं। चीन खासकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इस क्षेत्र में भारी पकड़ बना चुका है। अमेरिका बड़ी तेजी के साथ नए स्रोत ढूंढ रहा है और पाकिस्तान का रिकोडिक, जो तिब्बत–ईरानी खनिज बेल्ट का हिस्सा है वह अमेरिकी रणनीति में एक खूबसूरत चेकमेट जैसा दिखता है। इसके साथ ही बलूचिस्तान का भौगोलिक महत्व इस कदम को और तीखा बनाता है। ईरान की सरहद पास है, अफगानिस्तान की अनिश्चितता बगल में है, चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक सिर के ऊपर है। ऐसे में अमेरिका एक ही प्रहार में चीन को संकेत देता है कि हम अभी भी आपके बगल में मौजूद हैं और आपके बंदरगाह (ग्वादर) के पीछे की जमीन पर निवेश करने की ताकत रखते हैं। वहीं पाकिस्तान इस निवेश को आर्थिक राहत समझ रहा है, लेकिन असल में वह एक रणनीतिक जाल में फँसता दिख रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियों का इतिहास बताता है कि वह बलूचिस्तान को सेना-प्रभुत्व वाला इलाका मानती है। पर विदेशी निवेश वहीं चलता है जहाँ जनता को न्यूनतम सहमति या सुरक्षा मिले। यह दोनों ही पाकिस्तान के पास नहीं है। रिकोडिक के लिए न रेल लाइन है, न स्थायी सड़कें, न विश्वसनीय सुरक्षा तंत्र ऊपर से बलूचिस्तान में हर विदेशी निवेश, चाहे चीनी हो, सऊदी हो या अब अमेरिकी, वह विद्रोही गुटों का प्राथमिक निशाना बन जाता है। सवाल उठता है कि कनाडा की बैरिक गोल्ड इतने वर्षों में हिल-डुल भर नहीं सकी तो अमेरिका किस आत्मविश्वास से यहाँ आ रहा है? अमेरिका के इस क्षेत्र में आने से यह भी आशंका है कि चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा नई तीव्रता पर पहुँचेगी। दरअसल, अमेरिका रिकोडिक को चीन की आपूर्ति शृंखला का प्रभुत्व तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसे में पाकिस्तान दोनों महाशक्तियों के बीच रस्साकशी में फँस जाएगा। इस परियोजना से ईरान भी असहज होगा क्योंकि अमेरिका समर्थित विशाल रणनीतिक परियोजना उसकी सीमा के ठीक पास उभरना तेहरान को बिल्कुल रास नहीं आएगा। साथ ही अमेरिकी परियोजना से अफगानिस्तान का प्रभाव भी बढ़ेगा क्योंकि इसकी सुरक्षा और आपूर्ति रूट तालिबान द्वारा नियंत्रित इलाकों के बेहद करीब हैं। तालिबान इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। साथ ही इस परियोजना से बलूच विद्रोह को नई ऊर्जा मिलेगी। विदेशी निवेश उनके लिए हमेशा दमन के नए प्रतीक के रूप में देखा गया है। परिणामस्वरूप सुरक्षा स्थिति और बिगड़ सकती है। बहरहाल, यह निवेश पाकिस्तान के लिए आर्थिक संजीवनी नहीं बल्कि शक्ति के वैश्विक खेल में एक गैंबलिंग चिप है। अमेरिका को चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, लेकिन बलूचिस्तान को चाहिए न्याय, अधिकार और सुरक्षा जो किसी भी सौदे में शामिल नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिकोडिक आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की नई भू-रणनीतिक लड़ाई का केंद्र बन सकता है।

साथ ही अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की राजनीतिक समस्या को सैन्य तरीके से संभालने की भूल जारी रखी, तो अमेरिकी निवेश भी उसी तरह डूबेगा जैसे पहले के तमाम विदेशी प्रोजेक्ट डूब चुके हैं। यह सही है कि अमेरिका ने एक बड़ा दाँव लगाया है लेकिन यह भी सच्चाई है कि यह दाँव जितना चमकदार दिखता है, उतना ही बारूद के ढेर पर रखा हुआ है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॅचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/0882)

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2026 के परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के परीक्षा वर्ष 2026 के परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बैठक की शुरुआत में बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील है और यह विद्यार्थियों के हितों से सीधे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्र पारदर्शिता, निष्पक्षता और मानक आधारित व्यवस्था के अनुरूप ही निर्धारित किए जाएँ। बैठक में 133 ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों पर चर्चा की गई, जिसमें 5 परीक्षा केंद्रों के निरस्तीकरण, 72 विद्यालयों द्वारा नए केंद्र बनाए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन और अधिक दूरी से संबंधित 42 आपत्तियों पर श्रेणीवार विचार किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिक दूरी पर बनाए गए केंद्रों के संबंध में छात्रों की संख्या, विद्यालय से केंद्र की वास्तविक दूरी और मानक अधूरे होने वाले विद्यालयों की विस्तृत समीक्षा की जाए। जिन विद्यालयों में

परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई, उनके संबंध में जिलाधिकारी ने परिषद द्वारा निर्धारित मानकों की उपलब्धता पर विशेष बल दिया। ऐसे विद्यालय, जो वर्तमान में मानक पूर्ण नहीं कर पा रहे, उनके मामले में मानक पूर्ण होने के बाद ही विचार करने का आश्वासन दिया गया। मानक पूर्ण करने वाले लेकिन अभी तक केंद्र न बनने वाले विद्यालयों के लिए फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने और टीपीटी के माध्यम से भवन, संरचना एवं व्यवस्थाओं का वृहद् अवलोकन कर निष्कर्ष निकालने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र निर्धारण की यह प्रक्रिया विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने, परीक्षा प्रबंधन की पारदर्शिता बढ़ाने और बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शिकायत का निस्तारण पूर्ण पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की शंका या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। अंत में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियावन मौर्य सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

गुप्ता हीरो पडरौना पर डेस्टिनी-110 की हुई मेगा लांचिंग

पडरौना, कुशीनगर । गुप्ता हीरो पडरौना के शोरूम पर डेस्टिनी-110 स्कूटर की मेगा लांचिंग हुई। मुख्य अतिथी पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा शिवकुमारी देवी,विशिष्ठ अतिथी मीनू जिंदल, प्रीति जायसवाल, आस्था जायसवाल, कंचन तथा गुप्ता हीरो के एम.डी. अजय कुमार गुप्ता ने मेगा लांचिग किया। इस मौके पर हीरोफीनकार्प के अधिकारी अभिषेक मिश्र राजीव श्रीवास्तव एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे । सभी का कहना था कि इस सेगमेंट में हीरो डेस्टिनी - 110 स्कूटर अपन आप में एक उम्दा स्कूटर है।

रजवाहा की सफाई के बाद सड़क पर छोड़ा गया मलबा, राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी

दकमानगंज (कुशीनगर)।

कप्तानगंज रजवाहा की जेसीबी से हुई सफाई के बाद निकाली गई मिट्टी और कचरा सड़क पर ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर उठ रही धूल आंखों में जलन व सांस की तकलीफ का कारण बन रही है। यह समस्या किसान चौक से जे.पी. विद्यालय तक और इन्दरपुर से गणेश चौक के पास तक देखने को मिल रही है। रजवाहा की सफाई तो कर दी गई, लेकिन मलबा न हटाए जाने से

मार्ग बेहद बदहाल हो गया है। स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म रोजाना धूल-मिट्टी से गंदी हो रही है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि विभाग सफाई के बाद मलबा हटाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क पर जमा मिट्टी के कारण मार्ग संकरा हो गया है। इससे दोपहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल है और फिसलन के चलते दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। राहगीरों ने कहा कि जेसीबी से सफाई केवल आधा काम है, जबकि सड़क पर पड़े मलबे को हटाना असली कार्य है, जो अब तक नहीं किया गया है। कई शिकायतों के बावजूद विभागीय कार्रवाई न होने से लोगों में रोष बढ़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क से मलबा तुरंत हटाया जाए और मार्ग को सुचारू बनाया जाए, ताकि आमजन, विशेषकर स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

एसआईआर-2026 में कुशीनगर की बड़ी प्रगति, 81 फीसदी मतदाता प्रपत्र डिजिटाइज्ड

कुशीनगर । जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) का कार्य तेजी से जारी है। कुल 26,95,030 मतदाताओं में से 21,82,093 ने अपने प्रपत्र जमा किए हैं और 81फीसदी प्रपत्र डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। 5,12,596 मतदाता ASD(अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत्यु) श्रेणी में चिह्नित हैं, जिनकी पुनः जाँच की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने समय-सीमा बढ़ाते हुए मतदाता सूची प्रकाशन 31 दिसंबर 2025, दावे-आपत्तियों की अवधि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 और अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी 2026 तक जारी रखने की घोषणा की है। ASD सूची 12 दिसंबर को उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि लक्ष्य है कि निर्वाचक नामावली पूरी तरह त्रुटिरहित तैयार हो। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दोबारा विस्तृत सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

खड्डा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 47,000 की अवैध शराब बरामद

कुशीनगर। खड्डा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 11 दिसंबर 2025 को लावारिस हालत में ?47,000 मूल्य की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश से बिहार में होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर संचालित इस अभियान में आरपीएफ पोस्ट कप्तानगंज के हेड कांस्टेबल रघुनाथ प्रसाद और कांस्टेबल राजाराम यादव ने

महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। दोनों कर्मियों ने खड्डा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पश्चिमी उत्तरी छोर पर गश्त और चेकिंग के दौरान यह खेप पकड़ी। सुबह लगभग 03:30 बजे की चेकिंग के दौरान टीम को तीन प्लास्टिक की बोरियों में रखी अवैध शराब मिली। बरामद शराब में 310 बोतल 8 पीएम व्हिस्की (180 मि.ली., कीमत ?120 प्रति बोतल) और 28 बोतल रॉयल स्टैग व्हिस्की (375 मि.ली., कीमत ?350 प्रति बोतल) शामिल थीं। कुल 66.300 लीटर की इस अवैध शराब को आरपीएफ ने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु आबकारी विभाग को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव बनीं स्काउट गाइड की मुख्यायुक्त

कुशीनगर। जिले की नवागत सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव को स्काउट गाइड कुशीनगर की जिला मुख्यायुक्त बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि वंदिता श्रीवास्तव ने नए मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य भार ग्रहण किया है। प्रदेश मुख्य आयुक्त डॉ प्रभात कुमार ने सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव को कुशीनगर के नए मुख्यायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के पश्चात एसओसी स्काउट गाइड मंडल गोरखपुर मोहित कुमार गुरुवार को अधिकार पत्र लेकर कुशीनगर आए व जिला सचिव शैलेंद्र दत्त शुक्ला, जिला संगठन आयुक्त सतीश कुमार श्रीवास्तव जिला प्रशिक्षण आयुक्त इज़हारुल खान जिला गाइड संगठन का विस्तार निवेदिता श्रीवास्तव लीलावती यादव कब कमिश्नर डॉक्टर सुनीता पांडे स्काउट मास्टर नीरज बंका के साथ सीडीओ को अधिकार पत्र सौंपा।

जेल से रिहाई की किरण, आर्थिक तंगी में फंसे बंदी की जुर्माना राशि जमा कर दिलाई आज़ादी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व भारत विकास परिषद की संयुक्त पहल से 01 बंदी को नई जिंदगी का अवसर

देवरिया।

ये खुला आसमान और ये ताज़ी हवा अब लग रहा है जैसे मिली हो ज़िंदगी नई। जिला कारागार के एक बंदी की जुबान से निकले ये शब्द उस पल की गवाही दे रहे थे, जब उसे महीनों बाद आज़ादी की सांस नसीब हुई। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के निर्देशन और भारत विकास परिषद, देवरिया के सहयोग से बंदी नूर मोहम्मद उर्फ रेल मोहम्मद पुत्र ईश मोहम्मद को उसकी जुर्माना राशि जमा कर जेल से रिहा कराया गया। नूर मोहम्मद चोरी और बरामदगी से जुड़े मामले (धारा 379, 411 भादंस, थाना खामपार) में सजा पूरी कर चुका था, लेकिन गरीबी के कारण 3500 रुपये का अर्थदंड अदा न कर पाने से जेल की सलाखों के पीछे ही अटक गया था। जेल अधीक्षक की ओर से आर्थिक तंगी की सूचना मिलते ही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पराविधिक स्वयंसेवक अमरनाथ शुक्ल को सामाजिक संस्थाओं से समन्वय बनाने का निर्देश दिया।

अमरनाथ शुक्ल ने जल्द पहल करते हुए भारत विकास परिषद, गोरक्ष प्रांत से संपर्क साधा और सहयोग हेतु प्रेरित किया। संस्था तुरंत आगे आई और न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माना राशि जमा कराई। स्थानीय समाजसेवी संस्था द्वारा की गई इस सहायता से बंदी की रिहाई संभव हो सकी। परिषद की ओर से यह कदम न सिर्फ सेवा-भाव का उदाहरण है, बल्कि समाज के उन कमजोर तबकों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आर्थिक अभाव में न्याय से वंचित रह जाते हैं। रिहाई के समय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी ने भारत विकास परिषद, गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष कुमार गौरव गोयल और उनकी टीम की मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की। उन्होंने नूर मोहम्मद को समझाया कि प्रेम, करुणा और ज्ञान के साथ चलकर ही जीवन को नई दिशा दी जा सकती है।

समाज को बेहतर बनाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पराविधिक स्वयंसेवक अमरनाथ शुक्ल, जिला कारागार प्रशासन और भारत विकास परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। रिहाई के बाद नूर मोहम्मद भावुक दिखा और कहा कि इस मदद ने उसे दूसरी जिंदगी दी है।

कुशीनगर की 30 ग्राम पंचायतों में करोड़ों की अनियमितताएँ उजागर, डीएम ने सभी प्रधानों से स्पष्टीकरण तलब

कुशीनगर । जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, कुशीनगर द्वारा वर्ष 2023-24 की लेखा परीक्षा में जनपद की 30 ग्राम पंचायतों में व्यापक दुरूपयोग, अपव्यय और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। अधिभार प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को दो माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा में स्पष्टीकरण न देने या स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूली जाएगी। लेखा परीक्षा में जिन 30 ग्राम पंचायतों में अनियमितताएँ पाई गईं, उनमें लोहरपट्टी, लखुआ, रामपुर गोनहा, बसडीला, सोहरौना, बिहुली निस्फी, सपहा, सुम्हाखोर, भडसर खास, गांगरानी, दलबहादुर छपरा, साखोपार, विशुनपुरा, धनहा, जौरामनराखन, नोनिया पट्टी, कनौरा, परसा उर्फ सिरसिया, पिपराघाट एहतमाली, बभनौली, भुजौली, पुर्नहा बुजुर्ग, नगरी, बभनौली (नेबुआनौरंगिया), सिरसिया बुजुर्ग, बगही, धुरिया कोट, पखिहवा उर्फ कर्जहा, रामपुर उर्फ खुशहाल टोला और उस्मानपुर शामिल हैं। इनमें ?3,950 से लेकर ?30,65,481 तक की सन्निहित अनियमितताएँ पाई गईं। विभिन्न विकास खण्ड–दुदही, खड्डा, रामकोला, कप्तानगंज, पडरौना, फाजिलनगर, तमकुही, सेवरही, विशुनपुरा और नेबुआ नौरंगिया–में कुल कई करोड़ रुपये की अनियमितताओं को अधिभार प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन के दुरूपयोग पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। सभी ग्राम प्रधानों से प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

लूथरा भाइयों को लगा बड़ा झटका, रोहिणी कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' अग्निकांड मामले में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया है। अदालत ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला गोवा के एक रेस्तरां में आग लगने के बाद दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें लूथरा भाइयों पर लापरवाही के आरोप हैं। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। पुलिस का कहना है कि लूथरा भाइयों ने जांच में सहयोग नहीं किया, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए कहा कि मामला गैर-इरादतन हत्या का नहीं बल्कि लापरवाही का है। बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी। लूथरा भाइयों के वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा था कि एफआईआर के अनुसार घटना लापरवाही का मामला है, कोई हत्या नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण परिवार को खतरा है और बिना नोटिस दो रेस्तरां तोड़े गए। उन्होंने कहा कि लूथरा भाई फरार नहीं हैं और जांच में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे वारंट जारी किया गया। बचाव पक्ष ने बताया था कि लूथरा भाई फुकेत में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यात्रा पर थे। वहीं पुलिस ने अदालत में कहा कि उनका थाईलैंड में कोई व्यावसायिक काम नहीं है और उन्होंने 7 दिसंबर को देश छोड़ा, जबकि अदालत में गलत तारीख बताई। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने कोर्ट और एजेंसियों को गुमराह किया। सुनवाई के दौरान गोवा पुलिस ने कहा कि गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता इस प्रोजेक्ट के हस्ताक्षरकर्ता हैं। उनका कहना है कि पंचायती लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। पुलिस ने कहा कि लूथरा भाइयों के सहयोग न करने के कारण उन्हें अदालत से अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। बचाव पक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी गुस्से या बदले की भावना में नहीं की जा सकती। उन्होंने दावा किया कि 90 प्रतिशत जांच उनके बिना पूरी हो चुकी है और पुलिस ने यह नहीं बताया कि हिरासत की जरूरत क्यों है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अर्पोरा में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद गोवा प्रशासन अवैध नाइटक्लबों पर सख्त हो गया है। इसी क्रम में अधिकारियों ने वागातोर स्थित क्लब को सील कर दिया। बार्देज तालुका के मामलतदार के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में पाया गया कि क्लब कृषि भूमि पर बिना जोन बदलाए बनाया गया था। अधिकारियों ने क्लब मालिक को सात दिनों में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। नाइटक्लब प्रबंधन का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका।

यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ी एसआईआर की समयसीमा, जारी हुआ नया शेड्यूल

नई दिल्ली।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल के लिए कोई विस्तार नहीं

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तारीखों में संशोधन कर रहा है। चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार में मतदाता सूची की एसआईआर अनुसूची में संशोधन किया गया है।
संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के बाद चुनाव निकाय ने एसआईआर के लिए एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात को अब अपनी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 14 दिसंबर, 2025 (रविवार) थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, और नई जमा करने की तिथि 23 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गई है, जो पहले की 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) की समय सीमा का स्थान लेगी।
उत्तर प्रदेश को अब अपनी एसआईआर रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2025 (बुधवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 26 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) थी। भारत निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का दूसरा चरण चला रहा है। एसआईआर का पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सितंबर में पूरा हो गया था। यह प्रक्रिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कवर करती है। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं, जहां मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की गई है। इसे विशेष संशोधन कहा जा रहा है। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था, और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में हुए अंतिम एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया है। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य जन्मस्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है।

अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत

डिब्रूगढ़।

एक ही गांव के रहने वाले थे सभी श्रमिक

जिंदा बचा एक मजदूर 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली

दुर्घटना स्थल चगलागाम से लगभग 12 किलोमीटर पहले अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में है, जहां सीमित संपर्क होने के कारण स्थानीय एजेंसियों, ठेकेदारों या किसी नागरिक प्रतिनिधि द्वारा घटना की सूचना नहीं दी जा सकी।

भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के चगलागाम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया है। बता दें कि बुधवार को हायुलियांग-चगलागाम सड़क पर किलोमीटर 40 के पास एक वाहन दुर्घटना की जानकारी मिली थी। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, जो किसी तरह चिप्रा जीआरईएफ कैंप तक पहुंच पाया, ने बताया कि 8 दिसंबर की रात 22 मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिर गया था। दुर्घटना स्थल चगलागाम से लगभग 12 किलोमीटर पहले अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में है, जहां सीमित संपर्क होने के कारण स्थानीय एजेंसियों, ठेकेदारों या किसी नागरिक प्रतिनिधि द्वारा घटना की सूचना नहीं दी जा सकी। गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एमएस रावत ने बताया कि गुरुवार को स्पीयर कोर ने कई सर्च और रेस्क्यू टीमें, मेडिकल दल, जीआरईएफ प्रतिनिधि, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और एडीसी हायुलियांग को मौके पर रवाना किया। करीब चार घंटे की तलाशी और रस्सी के सहारे नीचे उतरने के बाद 11:55 बजे ट्रक को सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे घने जंगल और पत्तियों की वजह से अत्यंत कठिनाई से देखा जा सका।
अब तक 18 शव दिखाई दिए हैं और उन्हें बेल-रोप तकनीक से निकाला जा रहा है। इनमें से 19 की पहचान हो चुकी है। 17 शव निकाले जा चुके हैं। ये सभी तिनसुकिया जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे और अरुणाचल में एक हॉस्टल के निर्माण कार्य के लिए गए थे। जानकारी के अनुसार, डंपर ट्रक मजदूरों को अरुणाचल प्रदेश के एक निर्माण स्थल पर ले जा रहा था। यह सभी तिनसुकिया के गेलापुखुरी टी एस्टेट से थे।
इनमें शामिल हैं- बुधेस्वर दीप, राहुल कुमार, समीर दीप, जून कुमार, पंकज मांकी, अजय मांकी, विजय कुमार, अभय भूमिज, रोहित मांकी, बीरेन्द्र कुमार, अगर तांती, धीरन चेटिया, रजनी नाग, दीप ग्वाला, रामचबक्क सोनार, सोनातन नाग, संजय कुमार, करण कुमार और जोनास मुंडा। डिप्टी कमिश्नर स्वप्निल पॉल ने बताया, लगभग 11 बजे सूचना मिली कि अंजॉ जिले में एक वाहन खाई में गिर गया है। इसके बाद हमने अंजॉ और तेजू के डीसी से संपर्क किया। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों और खराब दृश्यता के बावजूद सेना, सिविल प्रशासन और विभिन्न एजेंसियां मिलकर शेष लोगों की तलाश और त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं।

गोवा अग्निकांड; थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स

हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट पकड़े तस्वीर आई; घटना के समय टिकट बुक करके भागे थे

नई दिल्ली। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में अग्निकांड के पांचवें दिन, गुरुवार को क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी है। वे अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है और 24 घंटे के भीतर लूथरा ब्रदर्स को वापस लेकर आएगी।
संभावना है कि भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में लेगी। बिर्च नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है।

सरकारी संस्थानों को खत्म करने की साजिश हो रही, राहुल बोले- ये भारत के भविष्य के लिए खतरनाक

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर सरकारी संस्थानों को कमजोर करने और उन्हें निजी हाथों में सौंपने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह साजिश गहरी है और भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीति सरकारी कंपनियों को पहले बदहाल करना, फिर घाटे का हवाला देकर उन्हें अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंपना है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी नीतियां देश के विकास, रोजगार और जनता के हितों के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने संसद कार्यालय में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) के कर्मचारियों से मुलाकात का वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला और वे कर्ज तथा उधार पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कभी लाभ में रहने वाली बीआईबीसीओएल को 2017 के बाद सोच-समझकर घाटे में धकेला गया। राहुल के मुताबिक, इसके जरिए टीकों के सरकारी अनुबंध निजी कंपनियों को सौंपने का रास्ता साफ किया गया ताकि वे महंगे दामों पर वैक्सीन बेचकर भारी मुनाफा कमा सकें। राहुल ने आरोप लगाया कि जेवर एयरपोर्ट के कारण बुलंदशहर स्थित बीआईबीसीओएल की जमीन की कीमत बढ़ गई है। इसी वजह से इसे बंद कर इसके बहुमूल्य संसाधन मित्रों को बेहद कम कीमत पर देने की तैयारी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्मचारियों की स्थिति सरकार को बताई गई है और वेतन तथा एरियर जल्द देने का आश्वासन मिला है। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकारी संस्थानों को खत्म करने की यह प्रक्रिया योजनाबद्ध और भारत के भविष्य के लिए

सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं- घुसपैठियों की चिंता अब क्यों, 11 सालों से सरकार सो रही थी क्या?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 11 सालों से सरकार सो रही थी क्या? जो उन्हें अब घुसपैठियों को निकलने की याद आयी. यही नहीं डिंपल यादव ने बीजेपी पर मुख्य मुद्दों को भटकाकर ऐसे मुद्दों अपर बहस का आरोप लगाया है. सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास जानकारी है कि कितने घुसपैठिए हैं? तो उनकी पहचान कर बताइये कौन-कौन घुसपैठिया है? डिंपल यादव दिल्ली में मीडिया के सवालों के जवाब दे रही थीं जब घुसपैठ के मुद्दे पर उनका जवाब मांगा तो उन्होंने बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया. सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अगर घुसपैठियों का सवाल है, तो 11 साल से सरकार सो रही थी? जो उन्हें अब याद आ रहा है कि घुसपैठिया आ गए, घुसपैठियों को भगाना है. आपके पास तो जानकारी है ही, पता है कितने लोग घुसपैठिए हैं. तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन-कौन घुसपैठिया है. डिंपल यादव ने इसे बीजेपी की ध्यान भटकाने की कोशिश कहा, बोलीं- देश में और भी जरूरी मुद्दे हैं रोजगार, महंगाई, लोगों की जरूरतों पर बहस हो. अगर प्रदेश में या देश में घुसपैठिए हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी देश को पीछे धकेल रही है.

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 14 दिन की राहत, सगी बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेगा। कोर्ट ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शादी याचिकाकर्ता की सगी बहन की है, याचिका मंजूर की जाती है और याचिकाकर्ता को 16 से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो जमानतदारों के साथ कुछ शर्तों पर अंतरिम जमानत दी जाती है। दरअसल, दो साल पहले उन्हें अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए भी अंतरिम जमानत मिली थी। उमर खालिद पर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत चार्जशीट दायर की गई है। उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस मामले में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य भी आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का ट्रायल अगले दो साल में समाप्त होने की संभावना है।

बहराइच हिंसा और रामगोपाल की हत्या के मामले में दोषी सरफराज को फांसी

बहराइच।

'9 को सुनाई उम्रकैद
'9 दिसंबर को दस आरोपियों को दोषी ठहराया गया
'प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने फैसला सुनाया
'दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा

उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के मामले में कोर्ट ने आज आज मुख्य दोषी सरफराज को फांसी की सजा और उसके पिता, दो भाइयों समेत 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को कोर्ट परिसर लाया गया और फैसला सुनाए जाने के दौरान पूरे क्षेत्र में पुलिस की सख्त व्यवस्था रही। आप को बता दें कि इस मामले में पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद 11 जनवरी 2025 को सभी आरोपियों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने 18 फरवरी 2025 को आरोप तय किए और मुकदमे की सुनवाई के दौरान 12 गवाहों ने न्यायालय में महत्वपूर्ण गवाही दी। सभी पक्षों की दलीलों के बाद न्यायाधीश ने 21 नवंबर 2025 को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

तीन आरोपी बरी

इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने कुल 13 में से 10 आरोपियों—अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद, जिशान, ननकऊ, शोएब और मारूफ—को दोषी करार दिया। वहीं तीन आरोपियों—खुर्शीद, शकील और अफजल—को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया।

13 महीने 26 दिन में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह के अनुसार यह मुकदमा 13 महीने 26 दिन में पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि धारा 103/2 के तहत सामूहिक मॉबलिंचिंग और धार्मिक आधार पर हत्या के दोषियों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अन्य धाराओं—190, 109 (2), 191 (2), 191(3), 249 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 30—के तहत भी कठोर सजा निर्धारित है।

रामगोपाल मिश्रा का परिवार बोला दोषियों को मिले सजा

इधर, मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने तीन आरोपियों के बरी होने पर असंतोष जताया है। परिजनों ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों को बरी किया गया है, वे भी घटना में शामिल थे। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार आगे अपील की संभावना मौजूद है।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- अमित शाह ने लोकसभा में उनकी दलीलों को धोया

नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का बचाव किया और विपक्ष पर निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। दुबे की यह टिप्पणी शाह द्वारा चुनावी प्रक्रिया से लेकर शासन में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक भूमिका तक के मुद्दों पर विपक्ष के नेता के भाषण का विस्तृत खंडन करने के एक दिन बाद आई है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए दुबे ने कहा कि अमित शाह ने अपने भाषण में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। उन्होंने दावा किया, «भारत के विभाजन के बाद, शहीदों की चिता पर, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का आनंद लिया, और सत्ता का आनंद लेने वाले परिवार के लोग देश, दुनिया और शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने कांग्रेस के भीतर वंशवादी राजनीति की भाजपा की पुरानी आलोचना को दोहराया। दुबे ने आगे कहा कि राहुल गांधी के भाषण में तैयारी और गहराई का अभाव था, जिसके चलते गृह मंत्री के लिए उनके तर्कों का बिंदुवार खंडन करना आसान हो गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी तैयारी के आए थे; उनके भाषण के तीन मुख्य बिंदुओं को गृह मंत्री ने बड़ी कुशलता से वाशिंग मशीन में धो दिया, इसलिए, न तो जनता राहुल गांधी के शब्दों को गंभीरता से लेती है और न ही देश उन्हें गंभीरता से लेता है। अमित शाह के लोकसभा में दिए गए दमदार भाषण के बाद से राजनीतिक तनाव चरम पर है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दबाने और ऐतिहासिक कथाओं को विकृत करने का आरोप लगाया था। इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शाह के भाषण का समर्थन करते हुए कहा था कि विपक्ष «दुर्भावनापूर्ण प्रचार» कर रहा है और उसके पास देश के सामने पेश करने के लिए कोई मुद्दे नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा : ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा वार

ममता बोलीं- शाह खतरनाक, वे दुर्योधन-दुशासन जैसे महिलाओं से कहा- एसआईआर में नाम कटे तो आपके खाना बनाने के बर्तन हैं, उनसे लड़ो

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में हाल ही में हुए गीता पाठ कार्यक्रम में दो ठेलेवालों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि राज्य में इस तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नदिया जिले के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। उन्होंने ठेले बेचने वालों को पीटा... हमने कल रात सभी को गिरफ्तार कर लिया। बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन की संस्कृति फैलाने का आरोप लगाया। भगवा पार्टी पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि मैं सांप्रदायिक विभाजन में विश्वास नहीं करती। मैं सभी धर्मों के साथ चलना चाहती हूं। गीता पाठ के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित करने की क्या आवश्यकता है? जो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या अल्लाह से आशीर्वाद मांगते हैं, वे अपने हृदय में ऐसा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों का राजनीतिक लामबंदी के लिए इस्तेमाल करने वालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो लगातार गीता, गीता जपते रहते हैं - श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में क्या कहा था? धर्म का अर्थ है पालन करना, विभाजन करना नहीं। वे पश्चिम बंगाल को नष्ट करना चाहते हैं। वे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं और लोगों को बंगाली बोलने से रोकना चाहते हैं। हम सभी गीता पढ़ते और सुनाते हैं। इसके लिए सभा आयोजित करने की क्या आवश्यकता है? कोलकाता पुलिस ने बुधवार रात को तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 7 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित पांच लाख कंठ गीता पाठ के दौरान दो खाद्य विक्रेताओं पर हमला किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज दो शिकायतों के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गईं।